कार्यालय उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, रांची

(जिला गोपनीय शाखा)

पत्रांक........5209......../गो॰

प्रेषक,

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
रांची।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
एन॰आर॰ई॰पी॰–I एवं एन॰आर॰ई॰पी॰–II
रांची ।

रांची, दिनांक.....17-11-06.....

विषयः उपलब्ध कराए गए मानक प्राक्कलन में प्रावधान के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि 200 x 200 x 15' तालाब निर्माण योजना के प्राक्कलन के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह दृष्टिगत होता है कि प्राक्कलन के प्रावधान समुचित नही है।

यथा **क्रम संख्या 1(अ)** में **80 प्रतिशत कड़ी मिट्टी** एवं **1(ख)** में **मुलायम पत्थर 20 प्रतिशत** का प्रावधान किया गया है, जबकि झारखण्ड सरकार द्वारा प्रेषित मानक प्राक्कलन में **50 प्रतिशत साधारण मिट्टी** एवं **50 प्रतिशत कड़ी मिट्टी** का प्रावधान है तथा इसकी गणना साधारण मिट्टी हेतु 100 सी॰एफ॰टी॰ घन फीट प्रतिमानव दिवस तथा कड़ी मिट्टी के लिए 90 घन फिट प्रति मानक दिवस पर की गई है। इस प्रकार 1(अ) एवं 1 (ब) में क्रमश 453095.00, 3,18009.00 की स्थान पर 2,03,677.00 एवं 2,26,282.00 का प्रावधान होना चाहिए था। कड़ी मिट्टी एवं मुलायम पत्थर के लिए किया गया प्रावधान सम्भावयता पर आधारित है। निदेशित है कि आवश्यकता आधारित प्रावधान के उपरांत ही प्राक्कलन में इसकी बढ़वती हेतु प्रस्ताव तकनीकी प्रतिवेदन के साथ दिया जाये जिसकी अलग से प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

क्रम संख्या 4 में जल निकासी हेतु 10,000.00 रूपये का प्रावधान किया गया है विदित हो कि कार्य नवम्बर–दिसम्बर से प्रारंभ हो कर 30 अप्रैल तक पूर्ण कर लिये जाने है ऐसी स्थिति में जल निकासी हेतु राशि का प्रावधान उचित प्रतीत नही होता है।

क्रम संख्या 5 में जल नियामक एवं प्रवेशक हेतु लगभग एवं एकमुश्त राशि का प्रावधान किया गया है जबकि इसके लिए विस्तृत प्राक्कलन बनाना जाना चाहिए था जो मुल प्राक्कलन में संलग्न नही है।

योजना के समर्पित प्राक्कलन में मानव दिवस की गणना मदवार की जानी चाहिए थी तथा प्रत्युक्त होने वाली सामग्री का सारांश विवरणी संलग्न करना आवश्यक है। जिसका अनुपालन नही किया गया है।

पुनश्च समर्पित प्राक्कलन में **सूचना पट्ट, फोटोग्राफी (तीन चरण), मेडीसीन कीट, एवं अस्थाई विश्राम सेड** का प्रावधान नही किया गया है। जबकि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में इनकी उपलब्धता योजना स्थल पर सुनिश्चित किये जाने का स्पष्ट निदेश है।

इसी प्रकार उपर दर्शाये गये बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए समर्पित तालाबो के मानक प्राक्कलन यथा 150 x 150 x 15 तथा 120 x 100 x 15 में भी सभी तथ्यों को समाहित किया जाना चाहिए।

सिचाई कुप निर्माण के मानक प्राक्कलन में क्रम संख्या 1(ज) से 1(त) तक मुलायम पत्थर के प्रावधान पर विचार करने की आवश्यकता है। इसकी मात्रा अत्यधिक प्रतीत होती है। पूर्व में दिये गये निदेश के अनुरूप आवश्यकता अनुरूप प्राक्कलन में संशोधित प्रावधान की व्यवस्था की जाये।

क्रम संख्या 4(क) में Well curb की मोटाई 1 फीट दर्शाई गई है। जबकि सामान्यतया इसकी मोटाई 6 ईच से 9 ईच तक ही होती है। ज्ञात हो कि ग्रामीण क्षेत्रो में Well curb के लिए जामुन की लकड़ी का प्रयोग होता है।

क्रम संख्या 4(ख) तीन स्थानो पर आर०सी०सी० बैण्ड का प्रावधान किया गया है जिस पर तकनीकि रूप से पून: विचार की आवश्यकता है।

उपरोक्त सभी बिन्दुओ को ध्यान में रखते हुए संशोधित प्राक्कलन तैयार कर तकनीकी स्वीकृति के उपरांत अधोहस्ताक्षरी के अवलोकनार्थ तीन दिनों के अंदर उपस्थापित करें।

विश्वासभाजन

(कमल किशोर सोन)
उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
रांची।

ज्ञापांक............/गो० रांची, दिनांक.............

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, रांची/सभी प्रखण्डो के वरीय पदाधिकारी, रांची जिला/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रांची जिला को अनुपालनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
रांची।